



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/20/M-35

दिनांक: 31 March, 2021

Shri Naval Kishore Rai, Ex-MP

Village & Post – Chainpura , Bhaya Janakpur Raod,
Distt.- Sitamari, Bihar - 843320

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 1 March, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 मे संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.एन.डे.भौमिक,

कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विकास) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571790,2863616

धन्यवाद,

भवदीप,

(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub.: Reply to RTI Query by Shri Naval Kishore Rai, Ex-MP, Bihar.

प्रश्न(क) का उत्तर

पावरग्रिड की CSR Policy वेबसाइट (website) <https://www.powergridindia.com/aboutus-csr> पर उपलब्ध है। गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग से कोई माप दंड नहीं है।

प्रश्न (ख) का उत्तर (1 & 2)

उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पावरग्रिड द्वारा गैर सरकारी संगठनों को सेमिनार एवं कार्यशाला हेतु कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है।

प्रश्न (ग) का उत्तर

उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पावरग्रिड द्वारा गैर सरकारी संगठनों को स्वच्छता अभियान से संबंधित स्वच्छ भारत-समृद्ध भारत पर सेमिनार एवं अन्य कार्यक्रम आयोजन करने हेतु वर्ष 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 में कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है।

---x---

